

गजियाबाद में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफतार

ऑटो में बैठकर बच्ची को ले गए थे आरोपी, लोगों ने थाने पर किया हुंगामा

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में 7वीं छात्रा से गौंगेप का मामला सामने आया है। दो युवक छात्रों को बहला-फुसलाकर ऑटो में बैठकर एक मकान पर ले गए और रेप किया। यूलिस ने अंकुश नामक आरोपी को

28 अगस्त की सुबह साढ़े 7 बजे हमारी बैटी स्कूल जा रही थी। स्कूल से कुछ ही दूरी पर दो शख्स आटो लेकर आए और उनका रासा रोक लिया। उन लोगों ने बैठी को बहला-फुसलाकर ऑटो में बैठा लिया। फिर उसे गुलाब बाटिका में एक मकान पर लैकर पहुंचे। वहाँ दोनों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसके ऑटो से ही लौटी में बुध बाजार लक्ष्मी गार्डन में उत्तर कर फरार हो गए। भागने से पहले आरोपियों ने जाए। मामला लोनी बॉर्डर थाना सेन्टर का है। 15 साल की लड़की कक्षा-7 जान से मारने की धमकी भी दी। मेरी में पढ़ती है। बच्ची के पिता ने बताया

घटना बताई। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने 29 अगस्त को इस केस में अंकुश और एक अल्पावधि किए पर पांचवें एक में केस दर्ज कर लिया। वहाँ से दुराचार किया। मैंने उच्चाधिकारियों से कह दिया है कि दरिंदों को बुरी तरह कुचल दीजिए।

अगर नहीं कुचलते हैं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी मांग है कि सलमान का मकान सील किया जाए।

आरोपियों को बिधायक को बताया कि मुख्य तमाम लोग शुक्रवार को थाना दस्तबेज नहीं हैं।

तीन दिन में पुलिस ने कार्रवाई करने का आधासन मुद्दे दिया है। इस

व्यक्ति के मकान में दरिंदी हुई है, इस मामले में रवि प्रकाश सिंह ने बताया इस मामले में नामजद अधिवक्ता की धमकी देता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मोनोज शास्त्री को नगर पालिका दादी के पास से गिरफतार कर लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी मोनोज शास्त्री कथा बाचान का काम करता है।

करीब एक साल पहले ग्रेन नोएडा के सेक्टर में आयोजित भागवत कथा के दौरान पीड़ित महिला उससे मिली थी। उसने बताया कि उसका बेटा जन्म से ही बोल नहीं पाता है। मनोज शास्त्री ने महिला को आशान दिया

महिला से बलात्कार करने वाला कथावाचक पकड़ा



नोएडा। दुष्कर्म जैसा कृत करने वाले कथा बाचक को दोदी कोटवाची पुलिस ने गिरफतार किया गया। पीड़ित महिला उसके पास अपने बेटे के इलाज के लिए गई थी। आरोपी बच्चों को ठीक करने का ज़िस्सा देकर उसके साथ एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मोनोज शास्त्री को नगर पालिका दादी के पास से गिरफतार कर लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी मोनोज शास्त्री कथा बाचान का काम करता है। करीब एक साल पहले ग्रेन नोएडा के सेक्टर में आयोजित भागवत कथा के दौरान पीड़ित महिला उससे मिली थी। उसने बताया कि उसका बेटा जन्म से ही बोल नहीं पाता है। मनोज शास्त्री ने महिला को आशान दिया

कि उसके बच्चे को वह तांत्रिक विद्या से ठीक कर देगा।



एक्सप्रेस-वे पर मेरठ को जाने वाली लाडन में एक बस लाल कुआं की ओर से एक्सप्रेस-वे पर मेरठ दिशा में जा रही थी। यात्रायत कर्मियों ने चालक को पकड़कर बस को सीधे कर दिया।



TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LTD.
CIN: L40108UP2005PLC094368
Registered Office: C-218, Ground Floor (GR-2), Sector-63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201307, Phone No: (0120) 2406030
Corporate Office: 1B, Park Plaza, South Block, 71, Park Street, Kolkata-700 016
Phone No: (033) 4051 3000, Fax No: (033) 4051 3326
Website: www.techno.co.in, E-mail: desk.investors@techno.co.in

NOTICE OF THE 18th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), REMOTE E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE AND DIVIDEND

NOTICE is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the Members of Techno Electric & Engineering Company Limited will be held on Tuesday, the September 26, 2023 at 3.30 p.m. through VC/OAVM to transact the businesses as set out in the Notice convening the Meeting (the "Notice") in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (amended) (the "Listing Regulations") and in compliance with Ministry of Corporate Affairs/MCA circular dated 05th May, 2022 and SEBI circular dated 13th May, 2022 and such other applicable MCA and SEBI circulars (collectively referred to as the "relevant circulars") to transact the business as set out in the notice of the Meeting.

Dispatch of Notice and Annual Report via e-mail:

In accordance with the said Circulars, the Notice convening the AGM alongwith the Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2023 has been sent only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA"), i.e., M/s. Niche Technologies Private Limited or the Depository Participant(s) and holding equity shares of the Company as on August 18, 2023. The Notice and the Annual Report are available on the websites of the Company viz., www.techno.co.in and of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed viz., www.nsdl.com. The Notice shall also be available on the e-Voting website of the agency engaged for providing e-Voting facility i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) viz., www.evoting.nsdl.com.

Participation at the AGM:

Pursuant to Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto, read together with the MCA Circulars and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-Voting facility and e-Voting facility during the AGM to all the eligible Members to enable them to cast their votes electronically in respect of the businesses to be transacted at the Meeting. The manner and Instructions to cast votes through remote e-Voting as well as through e-Voting system during the Meeting have been provided alongwith the Notice.

Manners of casting votes through remote e-voting and e-voting during AGM:

The businesses set out in the Notice shall be transacted through e-voting only. The Members, whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Tuesday, September 19, 2023 being the cut-off date shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently.

The remote e-Voting period will commence on Friday, September 22, 2023 (9:00 A.M. IST) and will end on Monday, September 25, 2023 (5:00 P.M. IST). Thereafter the module of remote e-voting shall be disabled by NSDL. A person who is not a member, as on the cut-off date, i.e. Tuesday, September 19, 2023 should treat the Notice for Information purpose only.

Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-Voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system via www.evoting.nsdl.com. Members who have exercised their voting rights by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM.

Any person, who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after despatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date, i.e., September 19, 2023 may obtain the login Id and password for e-Voting, by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. Members who are already registered with NSDL for remote e-Voting can use their existing User Id and Password for e-Voting.

All documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement thereto shall be made available for inspection by the Members of the Company, without payment of fees, upto and including the date of the AGM. Members desirous of inspecting the same may send their requests at desk.investors@techno.co.in from their registered e-mail addresses mentioning their names and folio numbers (demat account numbers).

Book Closure Notice for AGM and Record Date for Dividend Payment:

NOTICE is hereby also given that pursuant to Section 91 of the Act and Rules made thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from Wednesday, September 20, 2023 to Tuesday, September 26, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Further the Dividend on Equity Shares for the financial year ended March 31, 2023, as recommended by the Board, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source to:

a) those Members whose names appear in the Register of Members of the Company at the end of business hours on Friday, September 15, 2023.

b) those "Beneficial Owners" entitled thereto, in respect of shares held in demat mode, whose names shall appear in the statements of beneficial ownership at the end of business hours on Friday, September 15, 2023, as furnished by respective Depositories, viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Manner for registering KYC including Bank details for receiving Dividend:

For members holding shares in physical mode SEBI vide its circular dated 03rd November, 2021 had mandated registration of PAN, KYC details and nomination. Members holding Shares in physical form are, therefore requested to submit their PAN, KYC details including Bank details and nomination details to our RTA at nichetechpl@nichetechpl.com. A copy of such form can be downloaded from the website of the Company at www.techno.co.in or from the website of RTA nichetechpl@nichetechpl.com. Non availability of the KYC documents/details RTA or after 01st April, 2023 will result in freezing of the physical folios. Members holding shares in the physical mode are also requested to dematerialize their shareholding at the earliest.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to update their complete details with their depository participant to avoid delay in receiving in Dividend.

Tax on Dividend:

Members are requested to refer the Notice of AGM regarding complete details and procedure to be followed in regards to Tax on Dividend.

In case of any queries/grievances relating to e-Voting, Members may refer to "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" and "e-Voting Manual - Shareholder.pdf" available at the "Download" section of NSDL e-Voting website, i.e. www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free No.: 1800 222 990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Manager of NSDL at Telephone Nos. (022) 24994360 / (022) 24994545 or at e-mail id: evoting@nsdl.co.in or at NSDL, "Trade World", A/ Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013. For any further assistance, you may contact Mr. Jyotirmoy Banerjee, Investor Relations Manager at Telephone No.: (033) 2285796.

Manner of registering/e-mail address:

Please keep your updated mail id registered with the RTA/your depository participant to receive timely communication. For member who have not yet updated their e-mail address the process of registration is provided below:

Physical Holding: Members holding shares in physical mode and who have not yet registered /updated their e-mail address with the Company are requested to registered/update the same by submitting duly filled and signed Form ISR 1 with the RTA Niche Technology Private Limited at nichetechpl@nichetechpl.com.

Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail address with the relevant depository participants.

For Techno Electric & Engineering Company Limited

Sd/-
Niranjan Brahma
Company Secretary & Compliance Officer

Date : 01.09.2023

कॉर्सो (इंडिया) लिमिटेड

स्ट्रीट्रेटिंग: प्ल-एफ-04899310199-प्रॉपर्टी-0013

पांचीकृत कार्यालय: एनएस-92, राहगांव टी-सी-21, राहगांव एन्ड नेशनल निकट अन्नपूर्णा बाटर रोड, रुद्रगंगा, राहगांव, राजस्थान-307002, भारत

ई-मेल: superiorfinelease@gmail.com; फोन सं.: +91-9953798335

स्थान: 31-08-2023

स्थान : नई दिल्ली

कॉर्सो (इंडिया) लिमिटेड

स्ट्रीट्रेटिंग: प्ल-एफ-04899310199-प्रॉपर्टी-0013

पांचीकृत कार्यालय: एनएस-92, राहगांव टी-सी-21, राहगांव एन्ड नेशनल निकट अन्नपूर्णा बाटर रोड, रुद्रगंगा, राहगांव, राजस्थान-307002, भारत

ई-मेल: superiorfinelease@gmail.com; फोन सं.: +91-9953798335

स्थान: 31-08-2023

कॉर्सो (इंडिया) लिमिटेड

स्ट्रीट्रेटिंग: प्ल-एफ-04899310199-प्रॉपर्टी-0013

अग्रवाल

महाविद्यालय बल्लभगढ़ के विद्यार्थियों ने औद्योगिक भ्रमण किया

पायनियर समाचार सेवा | फरीदाबाद

अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में बैंग तथा बोकाम विद्यार्थियों के लिए कोकिल में होंडी प्राइवेट लिमिटेड में शैक्षिक एवं औद्योगिक भ्रमण किया गया। प्राचार्य डॉ. कृष्णकौत के मानदंशन में आयोजित इस यात्रा को ऊर्ध्वकक्ष में सीखने और व्यवहारिक अनुभवों के बीच अंतर को पाठाया था।

संकाय सदस्यों डॉ. गीता, डॉ. सारिका तथा वाणिज्य विभाग डॉ. रेखा सैन और डॉ. डिंगल के साथ 50 छात्रों के समूह का कंपनी की

इस दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों से यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा किए और उनका धन्यवाद किया।



प्रबंधन टीम ने स्वागत किया। जिन्होंने विनिर्माण संचालन, उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका का अवलोकन प्रदान किया कंपनी के मालिक बुज भूषण गोयल, एकांश गोयल और धूब गोयल ने छात्रों के साथ

उत्पादन इकाइयों का दीर्घ करने, विनिर्माण प्रक्रियाओं और कार्रवाई में गुणवत्ता नियंत्रण उपयोग को देखने का अवसर प्रदान किया।

यह औद्योगिक यात्रा एक अनेक सीखने का हमने

संक्षिप्त समाचार

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को छात्राओं ने बांधी राखी



फरीदाबाद। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर आरपीएस सोसाइटी सेक्टर-88 स्थित सेंट कोलंबस ग्लोबल स्कूल की छात्राओं द्वारा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को अपने हाथों से बनाई हुई राखीयां बांधी। इस मौके पर कक्षा नौवीं की छात्रा उदिता ने देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर देने वाली कविता का वाचन कर देश की रक्षा करने वाले वीर योद्धाओं को अपनी कविता का माध्यम से उनके साहस और वीरता के लिए दल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कविता के बारे से भूमिका और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भाव विभाग हो उठे। उन्होंने स्कूल द्वारा शिक्षा के साथ-साथ संस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के लिए स्कूल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। रक्षाबंधन के अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य बबीता चौधरी ने राजनाथ सिंह को राखी बांधी हुए देश की रक्षा करने के लिए रक्षामंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य अधिकारी अशोक कुमार, कक्षा यारहवीं की छात्रा मलिका और साथी, कक्षा नौवीं की छात्रा उदिता और कक्षा आठवीं की छात्रा अक्षिता मौजूद रहीं।

जीवा स्कूल के छात्रों ने हिंदी पर्यावार में भाग लिया।



फरीदाबाद। सेक्टर-21बी स्थित जीवा पब्लिक स्कूल में छात्रों ने हिंदी पर्यावार में भाग लिया। पहली सितंबर से 14 सितंबर तक देश में हिंदी पर्यावार के आयोजन होता है। देश के सभी शिक्षण संस्थानों के जीवालयों में हिंदी भाषा के समान में क्रूर क्रांति के लिए उत्सुक थी।

एक नाबालिंग युवक प्रेम प्रसंग में एक युवती को घर से भाग लगा गया। इसके बाद उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर हाई कोर्ट में पूर्व में निरस्त किया गया था। शादी मंदिर में शादी कर हाई कोर्ट को गुमाह कर सुरक्षा की गुहार लागाकर सुरक्षा की मांग की। किंतु उक्ति के अधिकारी तब नहीं मानते, भला वह जनता की अप्रसंग एं कैसे दूर करेगा। अपनी ही सरकार में वह स्वयं अदेखी का शिकायत बनकर रह गए हैं।

उन्होंने लोगों को आशवस्त किया कि वह उनकी इन समस्याओं को लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे और इनका निराकरण करवाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर विनोद पर्सिंह, पर्सिंह, अराधक, पर्सिंह, सुरेश प्रधान, गोपाल कृष्ण, राजकुमार लाला, लाल विहारी, संजू पर्सिंह, विजय, बबलू शर्मा, रामबीर, सुरेश प्रधान, हाकिम सिंह, प्रीति देवी, संताप देवी, ज्योति देवी, बिमला देवी, सुनीता देवी, अंगीरा देवी, बवीता चौधरी, सुंदर लाल, मुकुटपाल, रिजिवान अजमी, अविलेश शर्मा, गंगाराम सहित अनेक संस्थानों की देखियाँ हुई हैं। जबकि उसकी आयु आज 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हुई है।

आरोपी सुंदर की बारहवीं की मार्क्सिट में उसकी जन्म तिथि 12 फरवरी 2003 है। उसके आरोप लगाया है कि सुंदर ने दीप विभाग से अपने विश्वावार व रिश्वतारों की सहायता से अपने आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि एक फरवरी 2000 है, को प्रस्तुत कर हाई कोर्ट को अधें में रखकर आरोपी सुंदर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जबकि उसकी आयु अपरी भी 21 वर्ष नहीं हु

